

Sapna Cinema

Phones | Office :
Resi. :

15.6.1984.

The Asst. Housing Commissioner
U.P.Avas Evam Vikas Parishad
Kamla Nagar
AGRA

SUB: COPY OF REGISTERED LEASE DEED

Dear Sir,

We are sending herewith copy of Registered Lease deed registered in favour of Messrs S.D.Sons, Agra in connection of Cinema Plot, Kamla Nagar, Agra for your record and necessary noting in your record.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you.

Yours faithfully
For S.D. Sons

Deemed

Partner.

Encl: Copy of registered lease deed.

sk/-

प्रति
मानासिद्ध

25/6/84

U.P.A.E.V.

25/9/2019



01BB 482181



पंकज सिंह

एडिटर

फ्री-होल्ड डीड

15/10/2020
2020
12000

इस दस्तावेज़ को तारीख 29. माह. 6. वर्ष. 2019 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के अधीन गठित उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे स्तद पश्चात "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिनी है और सम्मिलित है।

क्रेता

R. Q. Singh
सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
आफिस कामपलेक्स, कबला नगर आगरा

For S. D. Sons (P) Ltd.

[Signature]
Director

... 2 ...



- 2 -

प्रथम पक्ष- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
एवं

द्वितीय पक्ष श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, निर्देशक मै0 एस0डी0संस प्रा0लि0 उम्र-50 वर्ष पुत्र स्व0 श्री शान्तीव्रत अग्रवाल, निवासी- सी-50 कमला नगर आगरा ॥ जिसे कि इस विलेख में आगे क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो क्रेता स्वयं उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा ॥ द्वितीय पक्ष में निष्पादित हुआ ।

क्रेता

For S. D. Sons (P) Ltd.

[Signature]
Director

[Signature]
सहायक आवास आयुक्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
ऑफिस कामपलवस, कमला नगर आगरा

.... 3....



- 3 -

चूँकि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के द्वारा भूखण्ड संख्या सिनेमा भूखण्ड क्षेत्रफल- 3045.46 वर्ग मीटर स्थित कमला नगर योजना आगरा स्मया ॥ शब्दों में स्मया- 627364.76 ॥ स्मये छः लाख सत्ताइस हजार तीन सौ चौंसठ पैसे छिअत्तर ॥ के प्रीमियम मूल्य पर 90 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर आवंटित किया गया था। जिसका लीजरेन्ट स्मया -3138.00 प्रतिवर्ष निर्धारित था। जो कि उप निबन्धक कार्यालय में वही नम्बर-11 जिल्ह नम्बर-66 की क्रम संख्या. के पृष्ठ संख्या-285/295 दिनांक-22.5.1984 पर अंकित है तथा वर्तमान समय में परिषद अभिलेखों में उक्त भूखण्ड क्रेता का नाम पट्टेदार के स्म में अंकित है।

क्रेता

For S. D. Sons (P) Ltd.

Director

सहायक आवास आयुक्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

आफिस कामप्लेक्स कमला नगर आगरा

... 4 ...



- 4 -

चूँकि शासनादेश संख्या 1639/9-आ-95 मिस/86 आवास अनुभाग-1 दिनांक- 10.5.95 के द्वारा लीज रेंट जमा करने नवीनीकरण कराने हेतु अभिकरण से पूर्वानुमान प्राप्त करने इत्यादि की समस्याओं से मुक्त करते हुए पट्टे पर आवंटित भूखण्ड के मूल्य का 12 प्रतिशत शुल्क लेकर फ्रीहोल्ड भूमि के रम में वर्तित किये जाने की अनुमति दी गयी है तथा क्रेता के द्वारा भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट के रम में परिष्कृत कोष्ठ में जमा किया जा चुका है। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार 2 प्रतिशत मूल्य और क्रेता ने अब जमा कर दिया है जिसकी पावती विक्रेता इस विलेख के माध्यम से करता है।

अतः पट्टे की भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करते हुए यह विलेख निम्न प्रकार से संबन्धित करता है:-

क्रेता

For S. D. Sons (P) Ltd.

Director

सहायक आवास आयुक्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

आफिस कामला नगर आगरा

... 5 ...



- 5 -

1. यह कि जारी उपरोक्त शसनादेश के अनुसार विक्रेता स्तद्वारा इस विलेख के माध्यम से क्रेता/पट्टेदार के पक्ष में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निष्पादित उपरोक्त पट्टा विलेख जिसका विवरण एवं निबन्धन अत्र दिया जा चुका है, की शर्तों को इस तौमा तक शिथिल करते हुए प्रश्नगत भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि के स्म में परिवर्तित किये देता है कि अधिक्रेता/पट्टेदार की लीज रेन्ट जमा करने, लीज नवीनीकरण कराने की सम्बन्धित अभिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्पत्ति के विक्रय या उत्तान्तरण पर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की सम्पत्ति सम्बन्धी विनियम-1980 यथा संशोधित फरवरी-1993 के विनियम 16 लागू होंगे।
2. यह कि उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तों को पट्टा विलेख में अंकित है वे यथावत लागू रहेगी। जब तक शसन अथवा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया गया हो।
3. यह कि प्रश्नगत भूखण्ड को पूर्व से ही विधि संगत निबन्धित विलेख के पन्स्वस्म क्रेता धारित कर रहा है। अतः विलेख के मूल्यांकन हेतु ₹ 150606.00 शब्दों में ₹ 150 एक लाख पचास हजार छः सौ छः मूल्य निर्धारित किया जाता है। जिस पर नियमानुसार स्टैम्प शुल्क की अदायगी कर दी गयी है।

अतः प्रमाण के स्म में इस फ्रीहोल्ड डीड को विक्रेता की ओर से श्री राम गिलास, सहायक आवास आयुक्त ने परिषद् के लिए और उसकी ओर से एवं क्रेता के द्वारा स्वयं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय में दिमांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ताक्षर.

नाम.

पता.

क्रेता

हस्ताक्षर.

नाम.

पता.

विक्रेता



नीज से प्रीहोल्ड में पारिवर्तित सम्पत्ति का विवरण

भूखण्ड संख्या- तिनेमा भूखण्ड सम्पत्ति श्रेणी- तिनेमा भूखण्ड योजना एवं नगर का नाम-
कमला नगर योजना, आंगरा स्थित कुल क्षेत्रफल- 3045.46 वर्ग मीटर जिसकी पूर्वी भुजा
की माप- 65.70 मीटर, पश्चिममी भुजा की माप- 67.00 मीटर, उत्तरी भुजा की
माप- 45.80 मीटर तथा दक्षिणी भुजा की माप -46.00 मीटर है। प्रश्नगत सम्पत्ति
की सीमार्यें निम्न से हैं:-

पूरब- 80 फुट चौड़ी सड़क

पश्चिम- व्यावसायिक भू. सं. 2/17, 2/18 से 2/23

उत्तर- आवास विकास कार्यालय की बिल्डिंग दक्षिण- सर्विस रोड

साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर.
2. नाम.
3. पता.

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2. हस्ताक्षर.
नाम.
पता.

सहायक आवास आयुक्त
उ० प्र० आवास विकास परिषद
महिला विकास विभाग, नगर आगरा
कृते आवास आयुक्त

1. हस्ताक्षर.
नाम.
पता.

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

2. हस्ताक्षर.
नाम.
पता.

हस्ताक्षर.
नाम. Dinesh Kumar Agarwal

For S. D. Sons (P) Ltd.

Director